

प्रेषक,

वी० राजगोपालन,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

लघु उद्योग अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक: 03 दिसम्बर, 2008
विषय:- पुलिस विभाग द्वारा कय किये जाने वाले उपकरणों को वर्तमान
कय व्यवस्था के अतिरिक्त एम०एम०टी०सी०, नई दिल्ली जैसे
भारत सरकार के उपकरणों के माध्यम से भी कय किया जाना।

महोदय,

पुलिस विभाग को आधुनीकृत किये जाने के उद्देश्य से पुलिस
विभाग द्वारा कय किये जाने वाले उपकरणों को सामान्य टेण्डर प्रक्रिया के
अतिरिक्त भारत सरकार की पी०एस०यूज०-एम०एम०टी०सी०, नई दिल्ली जैसे
भारत सरकार के उपकरणों के माध्यम से भी कय किये जाने का प्रस्ताव गृह
विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

2- गृह विभाग के उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह
कहने का निदेश हुआ है कि पुलिस विभाग द्वारा कय किये जाने वाले उपकरणों
को वर्तमान कय व्यवस्था के अतिरिक्त एम०एम०टी०सी०, नई दिल्ली जैसे भारत
सरकार के उपकरणों के माध्यम से भी कय किया जा सकता है।

भवदीय,

(वी० राजगोपालन)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1783(1) / 18-5-08 / 32(एसपी) / 2008-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
- 2- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/12।
- 4- गृह(पुलिस) अनुभाग-7।
- 5- गोपन अनुभाग-1
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(मारकण्डेय सिंह)
विशेष सचिव।

इ. वी. राजगोपालन
4/12/08